Regd. No. CHD/0093/2012 2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014
(PHALGUNA 7, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th February, 2014

No. 12—HLA of 2014/12.—The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2014, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 12—HLA of 2014

THE HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2014. Short title

2. In Sub-section (4) of Section 3 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, for the word "four", the word "five" shall be substituted. Amendment of Section 3 of Haryana Act 8 of 1975

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The urbanization projects, *viz.*, residential (plotted or group housing) commercial or industrial colonies are long-gestation projects. Depending upon the type of a colony, the colonizer is required to obtain several other approvals after grant of licence *viz.*, zoning plans, building plans, environmental clearance *etc.* before initiating development works or construction activities at site. Going by the past experience the development of a colony invariably takes much more than the prevailing initial validity period of four years to complete. Since there have been no instances of any completion of colony in less than five year period till date, a five year period for initial validity of licence may be considered as appropriate after which further renewal of licence may be considered as per the provisions of the Act on individual merits. It is accordingly proposed to increase the initial validity-period of licence to five years from prevailing four years period, for which Section - 3 of the Act is proposed to be amended. In order to eliminate any loss of revenue to the State on account of licence renewal fees for this extended validity of one year, a corresponding increase to the extent of not less than twenty-five percent of the prevailing rates of licence fees shall be subsequently made through appropriate amendment in the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976.

Hence this Bill.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 26th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 12 - एच० एल० ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (4) में, "चार" शब्द के स्थान पर, "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

शहरीकरण परियोजनाएं जैसे रिहायशी (प्लाटिड एवं ग्रुप हाउसिंग), वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक कालोनियां एक तरह से दीर्घावधि परियोजनाएं हैं। कालोनियों के वर्गीकरण के अनुसार, कालोनाईजर के द्वारा, लाइसेन्स लेने उपरांत विकास अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कई तरह के अनुमोदन जैसे सीमांकन प्लैन, जोनिंग प्लैन, भवन प्लैन इत्यादि तथा पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। कालोनी के विकास से सम्बन्धित अतीत के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि किसी कालोनी के विकास में विद्यमान चार साल की प्रारम्भिक वैधता अवधि से काफी अधिक समय लगता है। चूंकि, अब तक पांच साल से पूर्व किसी भी कालोनी के विकास का कोई अनुभव उपलब्ध नहीं है, इसलिए लाइसेन्स की प्रारंभिक वैधता अवधि को पांच साल तक किया जाना उचित होगा, जिसके बाद लाइसेन्स की वैधता को, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, व्यक्तिगत गुणदोष के आधार पर नवीकरण किया जा सकेगा। अतः उपरोक्त अनुसार लाइसेन्स की प्रारंभिक वैधता अवधि को विद्यमान चार साल कि अवधि से बढ़ाकर पांच साल तक किया जाना तथा उसके लिए अधिनियम की धारा-3 मे संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

एक साल के इस अतिरिक्त वैधता के कारण लाइसेन्स नवीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित राजस्व में किसी तरह के नुकसान को रोकने हेतु लाइसेन्स फीस की वर्तमान दर में कम से-कम पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि से सम्बन्धित उचित संशोधन हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में किया जाएगा।

अतः यह विधेयक।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 26 फरवरी, 2014.

सुमित कुमार
सचिव।

52075—H.V.S.—H G P. Chd.